भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2101
20 दिसम्बर, 2022 को उत्तरार्थ

सहकारी क्षेत्र की क्षमता

†2101. डॉ थोल तिरुमावलवनः

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश में सहकारिता क्षेत्र की क्षमता से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सहकारिता के एक अलग मंत्रालय बनाने के बाद से सहकारिता क्षेत्र के संभावित लाभों को प्राप्त करने के लिए कोई उपयुक्त नीति, कानूनी और संस्थागत ढांचा तैयार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (घ): जी हां, मान्यवर । सहकारिता क्षेत्र, अपने सदस्य आधारित दृष्टिकोण के साथ देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ।

सहकार से समृद्धि की परिकल्पना को साकार करने, देश में सहकारिता आंदोलन को सशक्त और उसकी पहुंच को जमीनी स्तर तक पहुँचाने, इसके सदस्यों में देश के विकास के लिए जिम्मेदारी की भावना विकसित करने सहित सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल को बढ़ावा देने और सहकारी समितियों को अपनी क्षमता हासिल करने में सहायक उचित नीति, विधिक और संस्थागत संरचना के निर्माण के लिए दिनांक 6 जुलाई, 2021 को एक नए 'सहकारिता मंत्रालय' की स्थापना की गई ।

सहकारिता मंत्रालय द्वारा कई पहलें की गई जो निम्नानुसार हैं:

i. आर्थिक कार्य मंत्रिमंडल समिति के दिनांक 29 जून, 2022 के आदेश के माध्यम से 2,516 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय से अगले तीन वर्षों में 63,000 कार्यशील प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पैक्स) के कंप्यूटरीकरण की एक परियोजना को अनुमोदित किया गया । इस परियोजना में सभी कार्यशील पैक्स को एक ईआरपी (एंटरप्राइज़ रीसोर्स प्लानिंग) आधारित कॉमन सॉफ्टवेयर में लाना, उन्हें राज्य सहकारी बैंकों और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से नाबार्ड के साथ जोड़ना शामिल है ।

ii. नई राष्ट्रीय सहकारी नीति के निर्माण के लिए श्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है । वर्ष 2002 में पिछली राष्ट्रीय सहकारिता नीति बनने के बाद विगत बीस वर्षों के दौरान सामाजिक-आर्थिक परितंत्र में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं ।

iii. सतानवें संविधान संशोधन के प्रावधानों को अंतर्विष्ट करने के लिए तथा बहुराज्य सहकारी समितियों में शासन को सशक्त करने, पारदर्शिता बढ़ाने, जवाबदेही बढ़ाने और निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 को संशोधित करने हेतु संसद में एक विधेयक पेश किया गया ।

iv. पैक्स के लिए आदर्श उपविधियों को सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों और संबंधित मंत्रालयों सहित हितधारकों के साथ गहन परामर्श के पश्चात् पैक्स द्वारा उनके संबंधित राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अनुसार अपनाए जाने के लिए तैयार किया गया । पैक्स की इन आदर्श उपविधियों के कारण वे डेयरी, मात्स्यिकी, पुष्पकृषि, गोदामों के निर्माण, खाद्यान्न की खरीद, उर्वरक, बीज, एलपीजी/पेट्रोल/हरित ऊर्जा वितरण एजेंसी, बैंकिंग अभिकर्ता, कॉमन सेवा केन्द्र, आदि जैसे 25 से भी अधिक व्यावसायिक कार्यकलाप कर सकेंगे ।

v. दिनांक 1 जून, 2022 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सहकारी समितियों को गवर्मेंट इ-मार्केटिंग प्लैटफॉर्म पर बतौर 'क्रेता' पंजीकृत होने की अनुमति देने का निर्णय दिया । इससे वे देश भर में जेम पोर्टल पर पंजीकृत 40 लाख से भी अधिक विक्रेताओं से माल व सेवाओं की खरीद कर सकेंगे । इससे सहकारी समितियों को किफायती खरीद करने में सहायता मिलेगी और उनकी खरीद प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी।

vi. सहकारी समितियों और उसके सदस्यों की आय में वृद्धि के लिए 1 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए तक की कुल आय वाली सहकारी समितियों पर अधिभार को 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है ।

vii. कॉर्पोरेट के अनुरूप समान अवसर प्रदान करने के लिए सहकारी समितियों पर न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) दर को 18.5% से घटाकर 15% कर दिया गया है ।

viii. सहकार आधारित आर्थिक विकास मॉडल को गति प्रदान करने के लिए सहकारी संस्थानों को पर्याप्त, किफायती और समय पर ऋण प्रदान करने हेतु गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को दिनांक 3 फरवरी, 2022 के परिपत्र के द्वारा गारंटी निधि ट्रस्ट (CGTMSE) योजना में सदस्य ऋणदाता संस्थान के रूप में अधिसूचित किया गया है ।

ix. सरकार ने दिनांक 25 अक्टूबर, 2021 की अपने अधिसूचना के माध्यम से सहकारी चीनी मिलों को एक बड़ी राहत देते हुए यह स्पष्ट किया कि उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) या राज्य परामर्श मूल्य (SAP), जो भी दशा हो, तक किसानों को गन्ने के उच्चतर मूल्यों का भुगतान करने पर चीनी सहकारी मिलों को अतिरिक्त आयकर नहीं चुकाना होगा ।

*****